भा. कृ. अनु. प. –केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधानसंस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003/Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.org.in
Phone No. 0291 –2787152(AAO)

फाइल संख्या : A-30/511/2026-Admn-IV दिनांकः 17.11.2026

<u>आंवला फलों की नीलामी हेतु निविदा सूचना</u>

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान(काजरी),जोधपुर **एवं कृषि विज्ञान केंद्र, जोधपुर** के **विभिन्न** बगीचो में **आंवला फलों** के लगभग 251 की संख्या में फलयुक्त पेड़ लगे हुए हैं। इन **आंवला फलों** की नीलामी, फलों की ऋतुवर्ष 2026-27 (माह **नवम्बर** 2026 से 31 मार्च, 2027 की अवधि) के लिए दिनांक 25.11.2026 को दोपहर 02.30 बजे तक मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र, विस्तृत विवरण, नियम व शर्ते इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.inपर उपलब्ध है । यदि चाहें तो प्रपत्र संस्थान के कार्य दिवसों मे कार्यालय समय के दौरान कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्तेनिदेशक

भा. कृ. अनु. प. –केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.org.in
Phone No. 0291 – 2787152 - AAO

फाइल संख्या: A-30/511/2026-Admn-IV दिनांक: 17.11.2026

ऑवला फलों की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रण विवरण एव ंनिर्देशित नियम व शर्तें

निविदा स्वीकार करने की अंतिम दिनांक : 25.11.2026 समय दोपहर 2.30 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक : 25.11.2026 समय दोपहर 3.00 बजे

निविदा संबंधी विवरण, नियम व शर्ते इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है । इच्छुक निविदाकर्ता इस वेबसाइट से निविदा संबंधी विवरण डाउनलोड कर सकते हैं ।

प्रेषक :

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
भा.कृ.अनु.प.–के0शु0क्षे0अ0सं0 (काजरी),
जोधपुर । (राज0)342003

सेवामें

मैसर्स / श्रीमान् ————————————————————

————————————————————————————

————————————————————————————

विषयः– के0शु0क्षे0अ0सं0, (काजरी) जोधपुर **एवं कृषि विज्ञान केंद्र, जोधपुर** के विभिन्न बगीचों में **आंवला** फलों की ऋतुवर्ष 2026-27 के लिए नीलामी हेतु निविदा।

प्रिय महोदय,

इस संस्थान के निदेशक की ओर से भा.कृ.अनु.प.–के0शु0क्षे0अ0सं0, (काजरी) जोधपुर **एवं कृषि विज्ञान केंद्र, जोधपुर** के विभिन्न बगीचों में **आंवला** फलों की नीलामी ऋतुवर्ष 2026-27 के लिए मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जिसका विस्तृत विवरण, नियम व शर्ते सलंग्न अनुसार हैं।

सभी प्रकार से पूर्ण सीलबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 25.11.2026 समय दोपहर 2.30 बजे तक प्रस्तुत करदी जाये अथवा पहुॅच जानी चाहिए । निश्चित अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी ।

भवदीय

सलंग्न : उपरोक्तानुसार सहायक प्रशासनिक अधिकारी (भण्डार)

वास्तेनिदेशक

नैलामी सामग्री की विवरणी

क्रम संख्या	विवरण	ऑवलापेड़ों की संख्या	कोट की जाने वाली दर
1.	इस संस्थान(काजरी), जोधपुर के विभिन्न बगीचों मुख्य बागवानी क्षेत्र, टेकनोलोजीपार्क, में विभिन्न किस्मों के **आंवला** के लगभग 251 पेड़ हैं । **आंवला** फलों की नीलामी ऋतुवर्ष 2025-26 के दौरान उपलब्ध होंगे । नीलामी के अन्तर्गत **आंवला** पेड़ों के रख–रखाव संबंधी फील्ड कार्य जैसे–सिंचाई, निराई, गुड़ाई इत्यादि सम्मिलित हैं संबंधित ठेकेदार/पार्टी को स्वयं ही अपने खर्चे पर जो कि **आंवला** फलों पर लगने वाले फूलों के समय से आरम्भ होकर अनार एवं बेर फल लगन`तथा इनकी तुड़ाई होने तक की अवधि तक ठेकेदार/पार्टी को जिसके पक्ष में फलों की नीलामी स्वीकृत होगी, निर्देशानुसार पूरे करने कार्य होंगे । सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति संस्थान द्वारा की जाएगी ।	लगभग 251 पेड.	अंको मे ..... शब्दो में ....

नोट : न्युनतम सरकारी मूल्य (Minimum Resere Price) रुपये 1,66,000.00 रखा गया है। इस सरकारी मूल्य से कम मूल्य कोट की जाने वाली निविदादाता फर्म / पार्टी की निविदा मान्य नही होगी।

आंवला के फलों नीलामी हेतु नियम व शर्तें-

धरोहर राशि उपरोक्त के लिए रूपय 8,300.00 ICAR CAZRI Jodhpur" के नाम राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट(Demand Draft) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथ आपकी निविदा मान्य नहीं होगी ।

1. सरकार द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. (if applicable) **आंवला** के फलों की नीलामी में सफलतम अधिकतम दर स्वीकृत निविदादाता ठेकेदार /फर्म को अतिरिक्त सरकारी नियमानुसार अलग से देना होगा।
2. इच्छुक निविदाकर्ता उपरोक्त **आंवला** के पेड़ों का निरीक्षण अंतिम दिनांक से पूर्व सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान इस संस्थान में उपस्थित होकर कर सकते हैं।
3. निविदा सीलबन्द लिफाफे में उपरोक्तानुसार अंतिम दिनांक व समय तक सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनचतुर्थ के कार्यालय में रख` निविदा बॉक्स में डाली जासकती है। डाक संबंधी विलम्ब के लिए काजरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निविदापत्र के लिफाफे के ऊपर **आंवला** फलों की नीलामी के लिए निविदाश अवश्य लिखें । निविदा उसी दिन दोपहर 3.00 बजे संस्थान की समिति द्वारा खोली जाएगी।
4. सफल या उच्चतम निविदादाता/पार्टी को नीलामी के अन्तर्गत किए जाने वाले संबंधित फील्ड कार्य कार्यालय समय में इस संस्थान के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में अथवा निर्देशानुसार किया जायेगा, प्रत्येक पेड़ की उपज का तौल आदि का पूर्ण ब्यौरा रखा जायेगा । फलो की तुड़वाई ठेका अवधि के दौरान ही पेड़ों को बगैर नुक्सान पहुॅचाये फलों को तोड़कर ले जाना होगा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह अवधि घटायी अथवा बढायी जा सकती है ।
5. **आंवला** फलों की नीलामी में पारित स्वीकृत अधिकतम राशि का आधा भाग निलामी समाप्त होने के तुरन्तबाद एंव शेष आधी राशि फलों की पहली तुडवाई के दिन जमा करनी होगी ।
6. **ठेकेदार को इस संस्थान के प्रांगण में विक्रय स्थल रखने की सुविधा दी जाएगी. बशर्ते ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि काजरी परिसर में किसी प्रकार का अतिक्रमण नही`किया जाये। संस्थान में विक्रय स्थल तथा आस–पास के क्षेत्र की सुरक्षा एवं अनुशासन का दायित्व ठेकेदार का होगा। यदि बागवानी प्रभारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त सम्बन्ध में लापरवाही की सूचना दी जाती है तो ठेकेदार पर 5.000.00 रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा। इस सम्बन्ध में फर्म/ठेकेदार द्वारा लेटर हैडपर हलफनामा/शपथ–पत्र देना होगा। (हलफनामा/शपथ–पत्र का प्रारूप सलंग्नहै।)**
7. अन्य जानकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित वैज्ञानिक/सहायक प्रशासनिक अधिकारी से ल`सकते हैं ।

8. **आंवला** फलों की नीलामी के सफलतम/अधिकतम स्वीकृत दर निविदादाता/फर्म के अतिरिक्त अन्य निविदादाता की धरोहर राशि का पंजीकृत **निविदा खोलने के बाद` समय** लौटा दिया जाएगा ।
9. निदेशक, काजरी को बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
10. निविदादाता को इननियम व शर्तों को हस्ताक्षर कर अपनी फर्म/पार्टी के नाम की मोहर लगा कर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। नियम व शर्तो की प्रतिलिपि इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in.से डाउनलोड की जा सकत है ।
11. **आंवला** के पेड़ों को दी जाने वाली खाद, फर्टीलाइजर, पेस्टीसाइड तथा सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति **ठेकेदार** द्वारा **स्वयं** की जाएगी।
12. नीलामी की अन्य शर्ते नियमानुसार लागू होंगी तथा अन्य संबंधित फील्ड कार्यप्रभारी अधिकारी, उद्यान/Dr. Dr. Sandeep Mathur, Sci. (Fruit Science) के निर्देशानुसार करने होंगे ।
13. प्रस्तुत की गई निविदा हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिये । बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नही होगी ।
14. नीलामी की स्वीकृत शर्तो में से किसी भी शर्त का सफलतम/अधिकतम दर स्वीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा नीलामी कार्यावधि के दौरान उल्लंघन किये जाने अथवा कोई शिकायत पाय जाने पर निदेशक को नीलामी/ठेक को निरस्त करने का अधिका रहोगा और उस ठेकेदार/फर्म द्वारा इस संस्थान में इस नीलामी से संबंधित जमा करायी गयी समस्त जमा राशि जब्त समझी जायेगी ।
15. **आंवला** फलों की नीलामी के स्वीकृत ठेकेदार/फर्म अथवा उसके मजदूरों द्वारा अनार एवं बेर के पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान करने पर ठेकेदार को निदेशक द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा करानी होगी ।
16. **आंवला** फलों की नीलामी की स्वीकृत फर्म/ठेकेदार को नीलामी की स्वीकृत अधिकतम राशि के अलावा सिक्युरिटी राशि(ठेके की राशि का 5 प्रतिशत) भी अलग से जमा करनी होगी जो कि नीलामी की शर्तो की अनुपालना व **आंवला** फलों ऋतु की अवधि पूर्ण होने के पश्चात वापिस देय होगी ।
17. **आंवला** पेड़ों को किसी प्रकार का नुक्सान नहीं पहुॅचाया जाएगा तथा फल तुड़ाई के लिए पेड़ हिलाये नही जाएंगे ।
18. नीलामी छोडने या न छोडने का अधिकार निदेशक, के0शु0क्षे0अ0सं0, जोधपुर का` होगा ।
19. नीलामी के अन्तर्गत किये जाने वाले **आंवला** पेड़ों के रख रखाव तथा फल तुड़ाई संबंधी फील्ड श्रमिक कार्यो में बाल श्रमिक ोंको काम में नहीं लगाया जाएगा ।
20. इस निलामी में **आंवला** फलों के फल तोडने की अवधि नीलामी की दिंनाक से 31 मार्च, 2027 तक वैध रहेगी अथवा आदेशानुसार मान्य होगी ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

ठेके की अन्य शर्तें एवंनियम–

1. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए, अधुरी कॉट–छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. **आंवला** फलों की नीलामी संबंधी निविदा हेतु निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 8,300/–अमानत राशि ड्राफ्ट द्वारा जो कि Director CAZRI JODHPUR के नाम देय हो संलग्न करना होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
3. निविदा भरते समय ठेकेदार अपना नाम पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर एवं पेन संख्या अवश्य लिखें । पेनसंख्या प्रमाण–पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
5. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, काजरी को होगा ।
6. **आंवला** फलों की नीलामी के स्वीकृत सफलतम अधिकतम दर ठेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पति को किसी प्रकार का नुक्सान न पहुॅचाए। होने वाले नुक्सान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार/फर्म को करनी होगी ।
7. ठेकेदार को दैनिक कार्यावधि में ही अपने मजदूरों से कार्य करवाना होगा ।
8. **आंवला** के बगीचों में पेड़ों के रख रखाव संबंधी फील्ड कार्यो तथा फल तौड़ने इत्यादि कार्यो, कार्यावधि के दौरान करते समय ठेकेदार/फर्म के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
9. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति मे निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प. – के0 शु0 क्षे0 अ0 सं0 (काजरी) का होगा ।
10. **आंवला** फलों की नीलामी में स्वीकृत फर्म/ पार्टी/ठेकेदार को अनार एवं बेर पेड़ों के रख–रखाव तथा फल तौड़ने की कार्यावधि के दौरान **आंवला** फलों संबंधी नीलामी के नियम व शर्तो की अनुपालना तथा **आंवला** फलों की स्वीकृत राशि निर्देशित समयानुसार जमा कराने के संबंध में एक बन्धक वांछित स्टाम्प पेपर पर भरकर नीलामी की दिनांक से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत करनाहोगा ।
11. **आंवला** फलों को तौड़ने के कार्य इत्यादि में लगाये गये व्यक्तियों की सूची संस्थान के संबंधित वैज्ञानिक अथवा सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी ।
12. ठेकेदार/फर्म को इस कार्य में लगे अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी । सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे ESI/EPF/Service Tax etc. का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि का पूर्ण अनुसरण/निर्वाह करनाहोगा । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों ,अनुदेशों व समय–समय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना करनी होगी और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।
13. नीलामी के अन्तर्गत किये जाने वाले **आंवला** पेड़ों के रख रखाव तथा फल तुड़ाई संबंधी फील्ड श्रमिक कार्यो में बालश्रमिकों को काम में नही लगाया जाएगा ।
14. काजरी परिसर में जंगली जानवरों, पश–ुपक्षियों को नुक्सान पहुॅचाना या इनका शिकार करना वर्जित है । ऐसा करने वाले ठेकेदार के श्रमिक/व्यक्ति/अथवा संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
15. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

Annexure-I

फर्म/एजेन्सी का विवरण

1. निविदादाताफर्म/एजेन्सी के प्रोप्राईटर का नाम : .....

2. निविदादाताफर्म/एजेन्सी का नाम एवंपूर्ण पता : मैसर्स .....
.....
.....
.....(a copy of address proof document duly self attested should be attached).

3. (अ) टेलीफोननं. कार्यालयः ..... निवासः ..... मोबाइलनं. .....

   (ब) ई.मेल पता : .....

4. फर्म/एजेन्सी का विवरण : .....

   (साझेदारीडीड/संविधान यदिसोसाइटीहै तो) .....

5. अधिकृत डीलरशीप/एजेंसी का प्रमाणपत्र नम्बर : .....

6. आयकरविभाग द्वारा निर्गतपैन (PAN) नम्बर : .....
.....(photocopydulyself attested should be attached)

7. फार्मउत्पाद शुल्क विभाग द्वारा निर्गत सर्विस

8. टैक्सनम्बर/GSTIN/ Form GST REGnumber%----------
---
issued by GOI and Govt. of Rajasthan

9. फर्म के बैंक का नाम व पता : .....

   बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोडनम्बर:..... बैंक खातानम्बरः .....

   (सही सूचना के लिए निरस्तचैक की छायाप्रतिसंलग्न करें)

10. बिडसिक्युरिटी (Earnest Money)रू. 8,300.00 डी0डी0 नम्बरः ..... दिनांकः .....
...

    बैंक का नाम .....जोकि "Director CAZRI Jodhpur"के पक्ष में देय हो ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय रबर मोहर
Signature of the bidder with seal

नोट :निविदाप्रपत्र कोबिनाकांट–छांट के साफ–सुथरा भर कर मोहर सहित हस्ताक्षर कर स्वयं/अधिकृत प्रतिनिधि/पंजीकृत डाक/त्वरित डाक/कोरियर डाक द्वारा देय तिथि 25.11.2026 को दोपहर 2.30 बजे तक या इससे पूर्व निदेशक, भा.कृ.अनु.प. –केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के नाम प्रशासन अनुभाग–चतुर्थ के टेन्डर बॉक्स में डालें। लिफाफे पर **आंवला फलों की नीलामी लिए निविदा"** लिखा होना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।डाक द्वारा देरी से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

विस्तृत जानकारी हेतु काजरी वेबसाइट : www.cazri.res.in देखें ।

Anneture - II

हलफनामा/शपथ–पत्र

मैसर्स.....या उसका अधिकृत व्यक्ति.....

.....यह शपथ लेता हूँ/घोषणा करता हूँ कि मेरी फर्म या मेरे श्रमिकों द्वारा काजरी संस्थान के परिसर में अनुशासन की पालना की जायेगी, साथ ही परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा।फल खरीदने के लिए आने वाले लोगों को विक्रय स्थल के आस पास के क्षेत्र में न जायें उसका भी ध्यान ठेंकंदार द्वारा रखा जायेगा, अगर इस दौरान विक्रय स्थल के आस पास कोई अतिक्रमण या लापरवाही फर्म के द्वारा/ अधिकृत व्यक्तियो कें द्वारा या बाहर से आने वाले ग्राहकों द्वारा की जाती है तो उसका दायित्व फर्म का होगा और इसके लिए नियमानुसार जुर्माना राशि कार्यालय में जमा करा दी जायेगी।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

मैसर्स.....

.....